कार्यालय–सचिव,उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल)

निविदा संख्या– प्रबन्ध/रद्दी/ 01 /2013–14 दिनांक : 09/12/2013

विज्ञप्ति/निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2013 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं, कटे फटे टांट बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र एवं अन्य स्वीप(रद्दी) जिसका अनुमानित भार निम्नवत अंकित है, की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदा पंजीकृत डांक/स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने हेतु दिनांक 30.12.2013 को दिन के 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 30.12.2013 को अपराह्व 3 बजे समिति के सदस्यों द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 29.12.2013 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कार्यालय से रु0 300.00 (रु0 तीन सौ) तथा वाणिज्य कर रु0 41.00 (रु0 इकतालीस) सहित कुल रु0 341.00 (तीन सौ इकतालीस) मात्र नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा की आवश्यक शर्तें एवं प्रतिबन्ध निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। उक्त निविदा सम्बन्धी जानकारी परिषद् की वेबसाईट www.ubse.uk.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

कमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित भार
1	हाईस्कूल एवं इण्टर परीक्षा वर्ष 2013 में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी	1152 कुन्तल
2	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2013 में प्रयुक्त फोटोयुक्त आवेदन पत्रों की रद्दी	40 कुन्तल
3	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2013 में प्रयुक्त ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों की रद्दी	20 कुन्तल
4	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2013 में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों के कटे–फटे टाट–बोरे इत्यादि	20 कुन्तल
5	अन्य रद्दी (स्वीप)	129 कुन्तल

ह0/–
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0स0 प्रबन्ध/रद्दी/1108-14 /2013–14/दिनांक : 09/12/2013

प्रतिलिपि

1. सम्पादक, दैनिक जागरण/उत्तर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि वे विज्ञप्ति/निविदा सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के हल्द्वानी संस्करण में 8x10 cm आकार में राजकीय दरों में प्रकाशित कर समाचार पत्र की एक प्रति एवं बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, अमर उजाला, देहरादून संस्करण को इस आशय से प्रेषित कि वे विज्ञप्ति/निविदा सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में 8x10 cm आकार में राजकीय दरों में प्रकाशित कर समाचार पत्र की एक प्रति एवं बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. स्कूटनी अनुभाग को सूचनार्थ।
4. कोष अनुभाग को सूचनार्थ।
5. सूचना संप्रेषण अनुभाग को उक्त निविदा सूचना को परिषदीय वेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

07/12/2013

(डॉ0 दयाकृष्ण मथेला)
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

आवश्यक प्रतिबन्ध तथा शर्तें

1:– टेण्डर में भाग लेने वाली फर्म/संस्था/ठेकेदार को अपने टेण्डर कोटेशन के साथ प्रस्तावित दर के कुल विक्रय मूल्य के न्यूनतम 10 प्रतिशत धरोहर की धनराशि सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के नाम से प्लेज्ड कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेण्डर फार्म प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

2:– प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र, फोटो युक्त आवेदन पत्र, कटे फटे टाट/बोरे एवं अन्य रद्दी (स्वीप) से संबंधित टेण्डर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के नाम से निर्धारित तिथि 30.12.2013 के अपरान्ह 12 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए, अन्यथा स्वीकार्य नहीं होंगे।

3:– निविदा धनराशि का 10 प्रतिशत धरोहर की धनराशि जो प्रतिभूति राष्ट्रीय बचत पत्र/पो0आ0 एफ0डी0/बैंकड्राफ्ट/बैक गारंटी/बैंक काल डिपाजिट/चालान के रूप में ही स्वीकार की जायेगी, सफल टेण्डरदाता की धरोहर धनराशि निविदा की शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण माल उठा लेने के पश्चात वापस कर दी जायेगी। यदि वह आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करेगा तो सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर की सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग सरकार के पक्ष में जब्त कर दे। इस सम्बन्ध में सचिव का निर्णय अन्तिम होगा तथा इसके विरूद्ध उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा।

4– टेण्डर देने के लिये व्यापार कर कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। टेण्डर फार्म में व्यापार कर पंजीयन संख्या तथा उसकी वैधता की तिथि अवश्य अंकित की जाये तथा उसकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाय।

5:– सफल टेण्डरदाता को वस्तुओं को भराने, लदाने, तुलाई इत्यादि की व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी एवं खर्च पर करना होगा। माल तुलाई के लिये उपलब्ध रहेगा और इकरारनामा करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल सभी शर्तों को पूरा कर उठा लेना होगा। सम्पूर्ण माल उठाने का कार्य पूर्ण हो जाने पर कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र देने पर धरोहर की धनराशि वापस की जायेगी।

6:– टेण्डर देते समय सभी वस्तुओं की दरें प्रति कुन्टल की दर से पृथक–पृथक स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में अंकित किया जाय। इस दर में वाणिज्य कर/VAT कर सम्मिलित न हो अन्यथा यह स्वीकार न होगा।

7:– टेण्डर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

8:– माल उठाने के पूर्व वस्तुओं के मूल्य के साथ–साथ उसके प्रचलित दर पर वाणिज्य कर/VAT भी नियमानुसार अलग से टेण्डर दाता को स्वयं वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका रामनगर (नैनीताल) को नियमानुसार चुंगी तथा अन्य कोई कर देय हो तो अलग से देना होगा।

9:– टेण्डर की स्वीकृति का आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर टेण्डरदाता को निर्धारित प्रतिबन्ध/शर्तों के अनुसार सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से एक

इकरारनामा करना होगा जिसकी भाषा का प्रारूप निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिया जायेगा। इकरारनामा रूपये 100.00 (एक सौ रूपये) के नान जुड़िशियल स्टाम्प पेपर पर होगा। इसे टेण्डरदाता स्वयं कार्यालय में आकर प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर की धनराशि जब्त कर लें और स्वीकृत टेण्डर को निरस्त कर लें।

10:– फर्म के मालिक का प्रतिनिधि यदि माल उठाने आता है तो इस आशय का एक अधिकार पत्र एवं प्रमाण पत्र तथा फोटो युक्त प्रमाणित पहचान पत्र फर्म द्वारा देना होगा।बिना प्रमाण पत्र के माल उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11–यदि टेण्डरदाता किसी अपरिहार्य कारणवश निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पूर्ण माल उठाने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसके आवेदन पर वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा समयवृद्धि देने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु इसके लिये बाध्यता नहीं होगी। समयवृद्वि प्राप्त किये ठेकेदार निर्धारित अवधि के बाद माल उठायेगा तो उसे उस पर अर्थदण्ड देना होगा जो एक रूपया प्रति कुन्टल प्रति दिन की दर से गोदाम किराये के रूप में देना होगा। यह अर्थ दण्ड अधिकतम एक माह तक ही लागू होगा। इसके बाद टेण्डर स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गई धरोहर की तथा अन्य जमा धनराशि को जब्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुनः टेण्डर आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता पर होगा।

12– यदि कार्यालय के अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों में व्यस्तता के फलस्वरूप सामग्री निर्धारित अवधि के पश्चात् उठाने हेतु उपलब्ध करायी जाती है तो उस अवधि के पश्चात स्वीकृत टेण्डर दाता माल उठाने हेतु बाध्य होगा, तत्पश्चात प्रस्तर–11 के अनुकूल कार्यवाही की जायेगी।

13–निविदा की सम्पूर्ण धनराशि को ट्रेजरी चालान के रूप में स्वीकार किया जायेगा। चालान का लेखा शीर्षक कार्यालय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

14–माल की एक ओर से तुलाई करनी होगी। कार्यालय में छांटने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

15– वस्तुओं का भार अनुमानित है, मात्रा घट–बढ़ सकती है।

16– ठेकेदार परीक्षा परिषद कार्यालय से प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र, कटे फटे टाट/बोरे, फोटो युक्त आवेदन पत्रों एवं अन्य रद्दी (स्वीप) को जहाँ है, जो है, जैसी है की स्थिति में उठायेगा और उसे सीधे विक्रय नहीं करेगा अपितु इनको केवल लुग्दी (पल्प) बनाने के प्रयोग में लायेगा। **लुग्दी बनाने का कार्य सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा नामित किसी अधिकारी के समक्ष किया जायेगा। टेण्डर के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।**

17– खादी बोर्ड को अलग से रद्दी का आंवटन नहीं किया जायेगा, अपितु खादी बोर्ड भी अन्य संस्थाओं की भांति अपना टेण्डर देगा। उन्हें **किस प्रकार की कितनी रद्दी कितनी मात्रा में चाहिये, अंकित करना होगा।** यदि खादी बोर्ड का टेण्डर उस प्रकार के रद्दी हेतु अधिकतम दर से 10

प्रतिशत सीमा तक कम होगा तो खादी बोर्ड को उतनी रद्दी प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जायेगी। **खादी बोर्ड द्वारा धरोहर की धनराशि (अर्नेस्टमनी) जमा की जायेगी** तथा उन्हें उपरोक्त 10 प्रतिशत छूट के लाभ के अतिरिक्त शेष सभी प्रक्रिया की पूर्ति अन्य संस्थाओं के समान ही करनी होगी। यदि खादी बोर्ड सूचना प्राप्त होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित कोटे की सामग्री नहीं उठाते तो आवंटित कोटा रद्द कर प्रथम सफल ठेकेदार को दिया जायेगा और ऐसी अवस्था में सम्बन्धित ठेकेदार को 10 प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र फिक्स डिपाजिट्स/बैंकड्राफ्ट/बैक गारंटी/बैंक काल डिपाजिट/चालान के रूप में धरोहर जमा करना होगा।

18– यदि पक्षकारों के मध्य निविदा सूचना अथवा अनुबन्ध पत्र या ठेके से सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा तो इस प्रकार के सभी विवाद के निर्णय का अधिकार, सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को पंच निर्णायक के रूप में होगा। उनके द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा और सम्बन्धित पक्षों को मान्य होगा।

19– टेण्डर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) स्वीकृत करेगा। उन्हें किसी एक अथवा समस्त टेण्डरों को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

20– निविदादाता को निविदा आवेदन के तकनीकी एवं वित्तीय भाग को अलग–अलग शील्ड बंद लिफाफों में रखकर तदुपरान्त् दोनों लिफाफों को एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपरी भाग में **प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र, कटे–फटे टाट/बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र एवं रद्दी (स्वीप) हेतु निविदा** लिखा जाय। फर्मो से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं की जांच के उपरान्त् उपयुक्त पाई गई फर्मो के ही द्वितीय भाग (वित्तीय सूचनाऐं) खोले जायेंगे। अनुपयुक्त पाई गई फर्मो के वित्तीय भाग नहीं खोले जायेंगे।

21– असफल टेण्डरदाताओं की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

22– कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्तिकर्ताओं/निविदादाताओं के संविदा से संबंधित सभी दायित्वों को जिनमें वारण्टी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित है, पूर्ति करने की अवधि पूरी करने के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है।

मैं इकरार करता हूँ कि मैंने निविदा की सभी शर्तों को भली–भांति पढ़ लिया है और समझ लिया है। तत्पश्चात् निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे यदि माल उठाने का आदेश प्राप्त होता है तो मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्य करूंगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम–

दिनांक सहित